(47)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1989–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–12 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 146/अपील/08–09.

1– श्रीमती पानाबाई पत्नी स्व. पन्नालाल
2– ताराचंद पुत्र स्व. पन्नालाल
3– मिथुन उर्फ लखन पुत्र स्व. पन्नालाल
4– रानीबाई पुत्री स्व. पन्नालाल
निवासीगण ग्राम बैरागढ़ चीचली
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– विजय सिंह आत्मज स्व. पन्नालाल
2– श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री स्व. पन्नालाल
3– प्रेमनारायण पुत्र सुखराम
निवासीगण ग्राम बैरागढ़ चीचली
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री बी.के. तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/13 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–2008 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 146/अपील/08–09 दर्ज कर दिनांक 30–10–12 को आदेश पारित कर तहसीलदार का बटवारा आदेश निरस्त किया गया एवं

अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम करते हुए सह खातेदारों के मध्य मौके पर कब्जा के अनुसार बराबर–बराबर हिस्से अनुसार फर्द बटान सहित 15 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदक कमांक 3 प्रेमनारायण हितबद्ध पक्षकार है, परन्तु उसे पक्षकार बनाये बिना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई कि अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, और उन्हें प्रश्नाधीन भूमि में से 1/2 हिस्सा प्राप्त होना था, परन्तु कम भूमि दी गई है । इस सम्बन्ध में यह आधार लिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व की स्थिति कायम करते हुए बराबर–बराबर हिस्से के अनुसार फर्द बटान प्रस्तुत करने के निर्देश देने में त्रुटि की गई है, क्योंकि राजस्व अभिलेखों में पानाबाई का नाम दर्ज था, और वह दूसरी पत्नी होने के नाते भूमि का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है, और पूर्व में राजस्व अभिलेखों में हुए हिस्से को किसी के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है ।

(3) अनावेदकगण के मन में बेईमानी आने से उनके द्वारा अवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, अतः उन्हें इसी आधार पर अपील निरस्त करना चाहिए था ।

(4) एक पति तथा दो पत्नियों से उत्पन्न संतानें बराबर का अधिकार रखते हैं, और यदि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में 1/2 के मान से फर्द बटवारा प्रस्तुत कर दिया गया तो आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश मुख्यतः इस आधार पर निरस्त किया गया है कि सभी सहखातेदारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर

नहीं दिया गया है तथा सहखातेदारों के अभिलिखित हिस्से की भी अनदेखी की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त उभय पक्ष को तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई का अवसर उपलब्ध है, जहां वे अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं । उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर